सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 10- जल उपभोक्ता समिति द्वारा जल अपराधों पर नियंत्रण

विषय -10.3 नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम

विषय -10.3

नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम

मॉड्यूल 10 के विषय :

10.1 जल अपराध एवं उनकी परिभाषा
10.2 जल अपराध की विवेचना तथा दंड निर्धारण
10.3 नहर अपराध का प्रशमन, अपील एवं अनधिकृत उपयोग पर रोकथाम
10.4 जल अपराध कम करने के सामाजिक उपाय एवं विवाद समाधान

1. नहर अपराध का प्रशमन

जल उपभोक्ता समिति द्वारा नहर अपराधों का प्रशमन (माफी) अधिनियम मे दी गई विधि के अनुसार की जा सकती हैः-

(1) नहर अपराध की जाँच के उपरांत किसी व्यक्ति/सोसाइटी/कम्पनी के दोषी पाए जाने पर सक्षम जाँच संस्था दोषी व्यक्ति की प्रार्थना पर निर्धारित प्रशमन

शुल्क प्राप्त कर अपराध माफ कर सकती है। अधिकांश राज्यों के पिम अधिनियम में प्रशमन शुल्क निर्धारित न्यूनतम दण्ड से कम न होने की शर्त रखी गई है तथा अधिकतम दो बार ही प्रशमन शुल्क प्राप्त कर माफी का प्रावधान रखा गया है.

(2) अपराध हेतु अदालत द्वारा मुकदमें की कार्यवाही से पूर्व किसी भी स्तर पर प्रशमन शुल्क आरोपित कर दोषी को सक्षम जाँच संस्था द्वारा बरी किया जा सकता है।

(3) मुकदमा दायर होने तथा अदालत द्वारा निर्णय दिए जाने से पूर्व सक्षम जाँच संस्था किसी भी समय प्रशमन शुल्क प्राप्त कर मुकदमा वापस ले सकती है।

(4) प्रशमन शुल्क की धनराशि सक्षम जाँच संस्था द्वारा जल उपभोक्ता समिति के कोष में जमा की जाएगी।

2. दण्ड के विरूद्ध अपील

स्पेशल जुडीशियल मजिस्ट्रेट द्वारा नहर अपराध हेतु दिए गए दण्ड से व्यथित कोई व्यक्ति/संस्था दण्ड के विरूद्ध निर्णय पर अपील कर सकते है. उत्तर प्रदेश मे निर्णय की तिथि से अधिकतम 3 माह के अन्दर चीफ जुडीशियल मजिस्टेªट (सी0जे0एम0) की अदालत में अपील का प्रावधान है।

अपनी जानकारी की जांच करें:

अपराध का प्रशमन कब तक किया जा सकता है तथा कौन कर सकता है.

उपरोक्त प्रस्तर 10.3 से अपने उत्तर का मिलान करें ।

अलग अलग राज्यों में अनाधिकृत जल उपयोग की परिभाषा तथा दण्ड की व्यवस्था भिन्न भिन्न हो सकती हैं। यहाँ सामान्य जानकारी दी जा रही है। सही जानकारी के लिए अपने प्रदेश के अधिनियम को पढ़ना चाहिए।

3. अनाधिकृत जल उपयोग एवं जल बर्बादी पर दण्ड

नहर से निम्नानुसार जल उपयोग करने को अनाधिकृत जल उपयोग की श्रेणी में रखा जाएगा। इनमे कुछ प्रस्तर 10.2 में वर्णित जल अपराध में भी सम्मिलित हैं। अनधिकृत जल उपयोग अथवा जल बर्बादी की दशा में पहले नीचे दिए गए प्रस्तर 10.7 के अनुसार जुर्माना की कार्यवाही की जा सकती है तथा बाद में सुधार न होने की दशा में जल अपराध के अंतर्गत जुर्माना तथा कारावास दोनों के लिए कार्यवाही की जा सकती है,

(1) नहर काटकर सिंचाई करना,

(2) अनाधिकृत कुलाबों से अथवा अधिकृत कुलाबे का दहन बढ़ाकर सिंचाई

(3) नहर के उस भाग से डाल सिंचाई करना जहाँ पर तोड़ सिंचाई किए जाने का प्राविधान है (नहर में पाइप डालकर इंजन द्वारा पानी खींचना);

(4) नहर में बंधा लगा कर जल को पूर्ण सप्लाई स्तर से ऊपर उठा कर सिंचाई

(5) कुलाबा कमाण्ड से बाहर पानी ले जाकर सिंचाई करना;

(6) ओसराबन्दी / वारबंदी के विरूद्ध सिंचाई करना;

(7) नहर अथवा कुलाबा पर लगी नियंत्रक संरचना / गेट को अनाधिकृत रूप से खोलकर सिंचाई करना;

(8) अन्य प्रकार से सिंचाई करना, जिसको सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति की सामान्य सभा के दो तिहाई बहुमत द्वारा अनाधिकृत घोषित किया गया हो।

3.1 अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता की पहचान

अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता निम्नवत् हो सकते हैंः-

(1) चिन्हित कृषक/व्यक्ति जिसके द्वारा अनाधिकृत सिंचाई की गई हो;

(2) यदि अनाधिकृत जल उपयोग करने वाले व्यक्ति/कृषक का चिन्हांकन नहीं हो पाता है और जिसकी/जिनकी भूमि/भूमियों पर जल उपयोग हुआ है उसके भू-

स्वामी/भू-स्वामियों को अनाधिकृत जल उपयोगकर्ता माना जाएगा यदि -ऐसी भूमि/भूमियों को लाभ हुआ है;

यदि ऐसी भूमि/भूमियों को लाभ हुआ हो परन्तु सम्बन्धित भू-स्वामी/भू-स्वामियों द्वारा यथास्थिति जल उपभोक्ता समिति अथवा सक्षम नहर अधिकारी को ससमय सूचित किया गया हो तो वे दण्ड के भागीदार नहीं होंगे ;

3.2 अनाधिकृत जल उपयोग व बर्बादी पर दण्ड

(1) प्रथम बार अनाधिकृत जल उपयोग पर जमाबन्दी में उल्लिखित जल शुल्क का कम से कम 10 गुना अथवा नियमों मे दी गई दर से अर्थदण्ड लगाया जाएगा.

(2) अनाधिकृत जल उपयोग करने वाले व्यक्ति पर सम्बन्धित जल उपभोक्ता समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रबन्धन समिति से सलाह-मशविरे के बाद अर्थदण्ड लगाया जाएगा। अनाधिकृत सिंचाई हेतु जुर्माना पर्ची जारी की जाएगी।

(3) यदि किसी नहर या किसी वाटर कोर्स (गूल) से जल की बर्बादी होती है तो इसकी जाँच सम्बन्धित अल्पिका समिति द्वारा अपनी जाँच उप समिति द्वारा कराई जाएगी। उप समिति की जाँच पर अल्पिका समिति की प्रबन्धन समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा,

(4) अल्पिका समिति के अध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत जल उपयोग पर लगाए गए अर्थदण्ड से व्यथित जल उपयोगकर्ता अपीलीय अधिकारी (अधिशासी अभियन्ता) को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(5) इसी प्रकार नहर प्रणाली के किसी भी स्तर पर समिति के अध्यक्ष द्वारा अनाधिकृत जल उपयोग पर लगाए गए अर्थदण्ड से व्यथित जल उपयोगकर्ता उस स्तर हेतु नामित अपीलीय अधिकारी को अपील कर सकता है। अपीलीय अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा।

(6) अनाधिकृत सिंचाई हेतु निर्धारित दण्ड की वसूली का विवरण दण्ड वसूली पंजिका में समिति द्वारा रखा जाएगा।

उदाहरण के लिए , उत्तर प्रदेश में निर्धारित प्रक्रिया का सारांश नीचे चार्ट में दिया गया है. इस प्रक्रिया मे समिति एवं विभाग के दायित्व स्पष्ट किए गए है.

चित्र - 1 : अनधिकृत जल उपयोग पर कार्रवाई

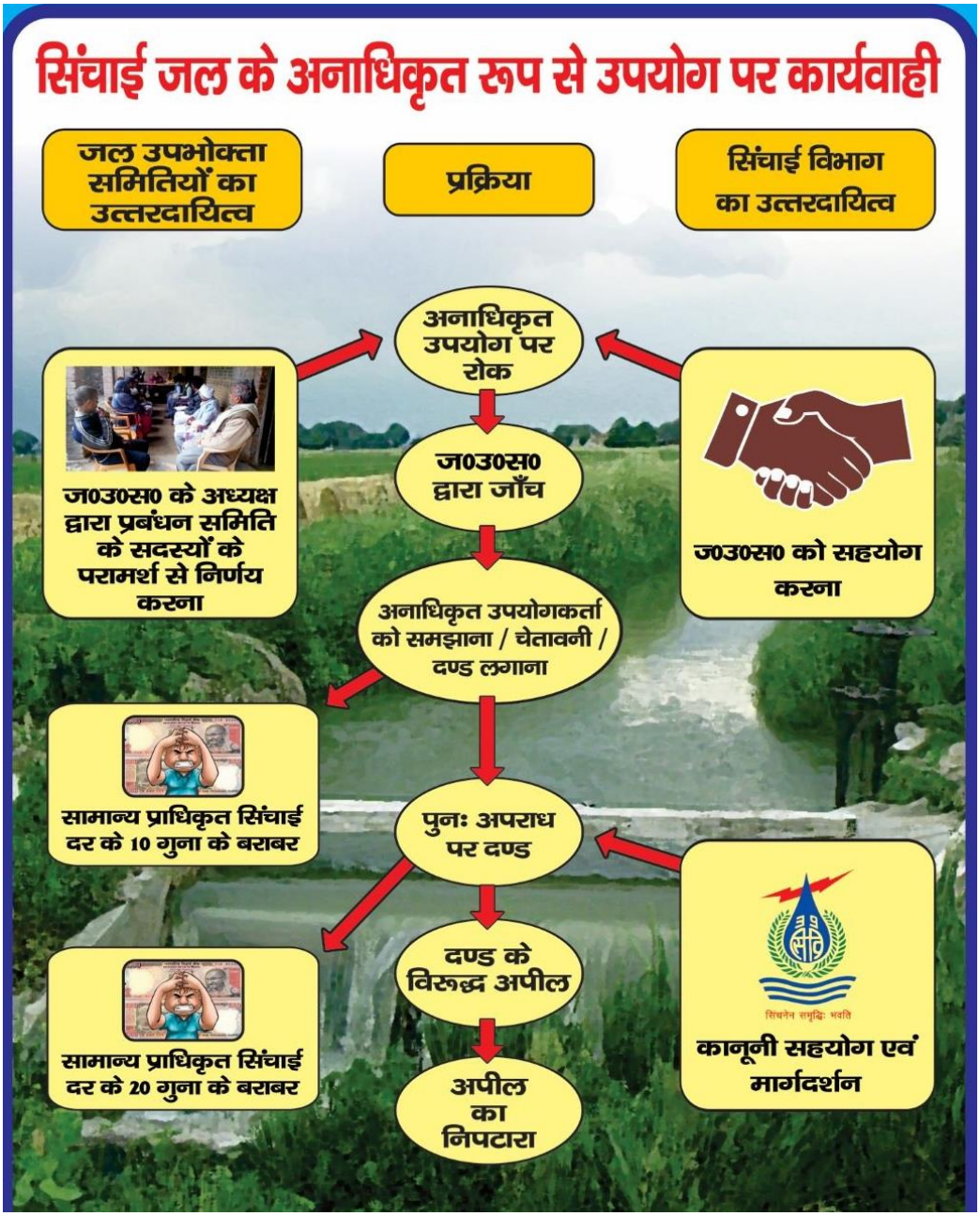

अपनी जानकारी की जांच करें:

यदि अनधिकृत उपयोगकर्ता चिन्हित नहीं हो पाया तो क्या सभी किसान जिनके खेत मे जल गया है दोषी होंगे? दण्ड से कौन छूट सकता है?

उपरोक्त प्रस्तर 3.1(2) से अपने उत्तर का मिलान करें ।